श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 27.5.2025 को आयोजित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा की गई:-

<u>परिवादों का वास्तविक निराकरण की स्थिति</u> :- प्रमंडलाधीन बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्राप्त परिवाद एवं निष्पादन की स्थिति (प्रारंभ से अब तक) निम्नवत है :-

जिला	कार्यालय का नाम	कुल निष्पादित	स्वीकृत	स्वीकृत प्रतिशत	वैकल्पिक सुझाव	वैकल्पिक सुझाव प्रतिशत	अस्वीकृत	अस्वीकृत प्रतिशत
पूर्णिया	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया	10779	4650	43.06	4236	39.23	1915	17.73
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर पूर्णिया	12197	4498	36.88	4816	39.49	2894	23.73
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, धमदाहा	11370	5218	45.89	3849	33.85	2300	20.23
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बनमनखी	4638	2373	51.16	1134	24.45	1131	24.39
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बायसी	7322	4374	59.94	1480	20.21	1480	20.21
कटिहार	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कटिहार	12801	4275	33.73	5411	42.70	2986	23.56
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर कटिहार	8330	3960	47.94	2499	30.25	1800	21.79
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मनिहारी	2927	1975	67	445	15	507	17
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बारसोई	7735	5288	68.36	1315	17	1132	14.63
अररिया	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया	11538	4740	41.08	3806	32.98	2898	25.11
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया	21392	8195	38.37	6754	31.62	6409	30.01
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, फारबिसगंज	16724	8482	51.23	5001	30.21	3071	18.55
किशनगंज	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज	4950	3221	65.07	1036	20.93	642	12.97
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज	8548	4233	49.52	3238	37.88	1026	12.01

उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निष्पादित मामलों में Non-Complied Type-2 Conditional Order के कितने मामले थे, स्पष्ट नहीं है तथा अस्वीकृत आवेदनों का प्रतिशत भी अधिक है। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी यदि किसी आवेदन को अस्वीकृत करते हैं तो आदेश में अस्वीकृति का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय तथा परिवादों का निस्तार सकारण आदेश से किया जाय। सामान्यतः परिवादी कम पढ़े

लिखे व्यक्ति होते हैं, उनका आवेदन सिर्फ इस आधार पर कि परिवाद का विषय वस्तु या भाषा स्पष्ट नहीं है, को सीधे अस्वीकृत किया जाता है। जो उचित स्थिति नहीं है। इस संबंध में परिवादी की भावना को भी समझना होगा। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त परिवाद पत्र/अपील के मामले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को यह जानने की कोशिश होनी चाहिए कि परिवाद/अपील का विषय वस्तु क्या है, परिवाद सही है अथवा नहीं। यदि परिवाद सही है तो परिवाद का बिन्दु अंकित करते हुए लोक प्राधिकार को सुनवाई में सीधे बुलाने के बजाय उनसे पहले प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय। जरूरत पड़ने पर लोक प्राधिकार को बुलाया जाय या उनसे दूरभाष पर बात कर परिवाद का निस्तार किया जाय।

बैठक में उपस्थित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के द्वारा कार्यपालक सहायकों की अन्यत्र प्रतिनियुक्ति एवं रिक्त पदों के कारण उत्पन्न समस्या से अवगत कराया गया। इस संबंध में निदेश दिया गया कि संबंधित जिला पदाधिकारी से बात कर कार्यहित में प्रतिनियुक्ति वापस लेने हेतु अनुरोध करेंगे। साथ ही लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को कार्यपालक सहायकों/तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। उक्त निदेश के आलोक में उपलब्ध कराये गये कार्यपालक सहायक/तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है :-

जिला	कार्यालय का नाम	कार्यपालक सहायक/तकनीकी सहायक का रिक्त पद
पूर्णिया	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया	02 कार्यपालक सहायक
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, धमदाहा	02 कार्यपालक सहायक
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बनमनखी	02 कार्यपालक सहायक
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बायसी	01 कार्यपालक सहायक
कटिहार	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर कटिहार	01 कार्यपालक सहायक
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मनिहारी	02 कार्यपालक सहायक
अररिया	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया	01 तकनीकी सहायक
	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, फारबिसगंज	01 कार्यपालक सहायक

उपरोक्त कार्यपालक सहायक/तकनीकी सहायक के रिक्त पदों को भरने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Sd/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 558 पूर्णिया, दिनांक 04-06-2025

प्रतिलिपिः- अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया सदर/बनमनखी/धमदाहा/बायसी/कटिहार सदर/मनिहारी/बारसोई/किशनगंज सदर/अररिया सदर/फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला लोक शिकायत निवारण पदधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।